न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-173(GCMS 2023-290)

1. कानाराम पुत्र जसाराम जाति जाट
2. गणपतराम पुत्र बक्साराम जाति जाट
3. सीताराम पुत्र सुखाराम जाति जाट
निवासीगण ग्राम गजसिहपुरा,
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार भोपालगढ,
जिला जोधपुर
2. मनोहरलाल पुत्र बाबंलाल
मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, भोपालगढ
कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी भोपालगढ
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 28 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 109/2023 मोहनलाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाम तहसीलदार भोपालगढ

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्टू., 2023

अपीलाण्ट्स ने यह अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 109/2023 मोहनलाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाम तहसीलदार भोपालगढ में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 जुलाई 2023 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी

17.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या दो की ओर से ग्राम गजसिंहपुरा तहसील भोपालगढ स्थित आराजी खसरा संख्या 1207 रकबा 199 बीघा 02 बिस्वा गैरमुमकिन मगरा में से 20 बीघा भूमि बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया और जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी वादी-विभाग को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 92 के तहत विद्यालय हेतु आवण्टन बाबत सेट अपार्ट की गयी, वादग्रस्त भूमि पर सरकारी खर्च से स्कूल भवन व खेल मैदान बना हुआ है और चारदीवारी भी निकाली हुई है। किन्तु राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण उक्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में स्कूल का नाम दर्ज नहीं हो पाया और राजस्व नक्शें में तरमीम भी नहीं हुई। अतः वादग्रस्त आराजी स्कूल के नाम घोषित की जाकर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक को तलब किया गया। साथ ही वादग्रस्त आराजी बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जबाबदावा में वादग्रस्त भूमि दिनांक 11 अगस्त 1995 को सेट अपार्ट किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड में इस बाबत रही त्रुटि के तथ्यों को स्वीकार किया। चूंकि वाद में अंकित अभिकथनों को प्रतिवादी-पक्ष की ओर से प्रस्तुत जबाब दावे में कोई खण्डन नहीं किया गया, इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा मामले में तनकियात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं मानते हुए मामले में अग्रिम कार्यवाही कर उक्त वाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजसिंहपुरा (शिक्षा विभाग) को खातेदार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स

17.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर स्वयं को गांव के जागरूक नागरिक होने के आधार पर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा कोई इकबाली जबाबदावा पेश नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाब के आधार पर तनकियात कायम नहीं करने में निर्धारित विधिक प्रकिया का उल्लंघन किया गया है। वादी-रेस्पो. संख्या दो को विचारण न्यायालय के समक्ष दावा पेश करने का अधिकार ही नहीं था क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर निर्मित भवन राजकीय उच्च माध्यमिक विघालय गजसिंहपुरा का है जो उच्च माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के क्षेत्राधिकार में आते है, अतः इस संबंध में मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी को कोई कार्यवाही करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय में मूल वाद प्रस्तुत होने के बाद मात्र 3 तारीख पेशियों में 7 दिवस की अवधि में ही दावा डिकी कर दिया गया, जो अत्याधिक जल्दबाजी का घोतक है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि उक्त विघालय गैरमुमकिन मगरे की भूमि पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच के द्वारा अपनी स्वेच्छा से ग्राम पंचायत निधि से अलग-अलग मदों से राशि प्राप्त करके निर्मित करवाया गया था, जबकि शिक्षा विभाग के द्वारा न तो विघालय भवन निर्माण की मांग की गयी और न ही ऐसी कोई आवश्यकता ही थी। उक्त भवन तत्कालीन सरपंच द्वारा अपने पूर्वजों का शिलालेख लगाने के लिए निर्मित करवाया गया जिसके लिए कोई सक्षम अनुमति भी प्राप्त नहीं की गयी। गैरमुमकिन मगरे की भूमि पर निर्मित होने के कारण शिक्षा विभाग द्वारा उक्त भवन को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया गया और न ही राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज कराया गया। वर्तमान में भी उक्त भवन अनुपयोगी एवं जर्जर अवस्था में पडा है। तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत निधि की करीब एक करोड की राशि व्यर्थ खर्च कर दिये जाने

17.X.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा लोकपाल एवं सक्षम अधिकारियों को शिकायत भी की गयी जिसके फलस्वरूप जांच प्रारम्भ की गयी। जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश में खसरा संख्या 1207 रकबा 199 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से 20 बीघा भूमि सरकारी कार्यालयों हेतु सेट अपार्ट की गयी है, किन्तु तत्कालीन सरपंच द्वारा राजस्व कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बना कर सरकारी कार्यालय एवं विद्यालय अंकित करवाया है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि अपीलाण्ट्स संबंधित ग्राम के जागरूक निवासी है तथा गांव में जो अवैधानिक कार्य कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ही उक्त शिकायत पेश की गयी। इस प्रकार वर्तमान मामले में भी ग्राम के जागरूक निवासी होने के कारण अपीलाण्ट्स हितबद्ध पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने के मुश्तहक नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब दावे में मूल वाद का खण्डन नहीं किया गया जिससे मामले में किसी प्रकार की तनकी कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं रही। विचारण न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपलब्ध अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है। अतः अपील अपीलाण्ट्स अधिकारविहीन एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में प्रत्यक्ष तौर पर अपीलाण्ट्स वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होना प्रकट नहीं होता है किन्तु बतौर ग्राम से जागरूक निवासी होने के

17.8.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर उनके द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया गया है। अतः न्यायहित में अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या दो की ओर से प्रस्तुत दावे का प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से जो जबाब पेश किया गया है, उसमें वादी के किसी भी अभिकथन का खण्डन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा मामले कोई तनकी कायम किया जाना आवश्यक नहीं माना गया जिससे अदालत हाजा सहमत है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत वादी एवं प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष अनिच्छुक रहे। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांक राज./सार्व.उप./आरक्षण/95/4053 दिनांक 11 अगस्त 1995 के जरिये खसरा संख्या 1207 रकबा 199 बीघा 02 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि सहित अन्य कई खसरा नम्बरान की भूमियों को सरकारी कार्यालयों एवं सार्वजनिक उपयोगी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट किये जाने एवं उसके अनुसरण में तहसीलदार भोपालगढ एवं ग्राम पंचायत स्तर पर हुई कार्यवाही के आधार पर दावा स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गजसिंहपुरा (शिक्षा विभाग) को खातेदार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के निर्देश दिये। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता एवं त्रुटि किया जाना प्रकट नहीं होता है।

जहॉ तक विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करने बाबत वादी-रेस्पो. संख्या एक की पात्रता/अधिकारिता का प्रश्न है, इस संबंध में राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा जारी पत्रकमांक प. 21(32)प्रशि/आयो/2017 पार्ट जयपुर दिनांक 08 अगस्त 2018 (जिसकी प्रति

17.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बरवक्त राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी) के बिन्दु संख्या 14 के अवलोकन वादी-रेस्पो. संख्या दो आलौच्य वाद प्रस्तुत करने हेतु सक्षम पाया जाता है। उक्त बिन्दु संख्या 14 इस प्रकार है -

> 14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ ब्लॉकक्षेत्र के स्कूल शिक्षा विभाग एवं समग्र शिक्षा अभियान के प्रभारी अधिकारी (officer Incharge) होंगे एवं ब्लॉक क्षेत्र के समस्त पीईईओ एवं पीआरसीएफ, समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल के कार्मिक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ के प्रशासनिक नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

अतः इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अन्य जो आक्षेप पंचायत निधि के उपयोग, विद्यालय भवन की मांग, आवश्यकता, शिकायतों आदि के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा उठाये गये है, वे आलौच्य मामले से सुसंगत नहीं होने से इस मामले में स्वीकार्य नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दि. 17.X.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. कानाराम पुत्र जसाराम जाति जाट
2. गणपतराम पुत्र बक्साराम जाति जाट
3. सीताराम पुत्र सुखाराम जाति जाट

निवासीगण ग्राम गजसिहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर
2. मनोहरलाल पुत्र बाबंलाल मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी, भोपालगढ कार्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी भोपालगढ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ दिनांक 28 जुलाई 2023 राजस्व वाद संख्या 109/2023 मोहनलाल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाम तहसीलदार भोपालगढ

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 17 अक्तूबर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी, मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 28 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17 अक्तूबर 2023 को जारी किया गया।

17.X.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

.... निरन्तर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील	/
2. स्टाम्प वकालतनाम	
3. इजराय हुक्मनामा	
4. वकील फीस बावत	
मीजान	

रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प वकलातनामा	/
2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराम हुक्मनामा	
4. मेहनताना वकील	
मीजान	

17.4.23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर